BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

File No. : Ram/Store/P.1/294/Part-3/Photo stat service/2023/ 3011 22.12.2023 Date : 22/12/23

Notice Inviting Bid

Nib No.: BOR/ Photastat Service/Limited Bid/Rs.190000/2023/16 Dated: 22/12/2023

Notice Inviting Bid for Photo Stat Machine with Service provider are hereby invited from interested bidders upto 12 : 30PM till 29 .12.2023. For any other particulars related to may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state; and www.landrevenue.rajasthan.gov.in of board website. The approximate value of the procurement is Rs. 1,90,000.

UBN: BOR2324SSLB00010

Additional Registrar (Store)
Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
बोली दस्तावेज – सेवा/Service
एकल चरण – दो लिफाफा बोली
निबंधक ,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
दूरभाष : 91-145-2627620 **फैक्स** : 91-145-2427072, 2627001 **ई : मेल-**bor-rj@nic.in

1. बोली आमंत्रण की सूचना

(NOTICE INVITING BIDS)

Nib No. BOR/Photostat Service/Limited BID/Rs. 1.90 Lakh/2023/16 Dt. : 22/12/2023

विषय : राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल कार्यालय में आमजन एवं अभिभाषकों को न्यायिक दस्तावेजों की फोटोप्रति उपलब्ध करवाये जाने के प्रयोजनार्थ संवेदक के माध्यम से फोटोस्टेट मशीन मय प्रदाता सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निविदा।

निविदा की विषय वस्तु	**संवेदक के माध्यम से फोटोस्टेट मशीन मय प्रदाता सेवा उपलब्ध करवाने बाबत्**	
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	दिनांक : 22/12/2023	समय :10:00 am
निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	दिनांक : 28/12/2023	समय : 06:00 pm
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक : 29/12/2023	समय : 12:30 pm
निविदा प्रपत्र की तकनीकि बोली खोलने की तिथि	दिनांक : 29/12/2023	समय : 04:00 pm
निविदा प्रपत्र की वित्तीय बोली खोलने की तिथि	तकनीकि रूप से योग्य बोलीदाताओं को तदनुसार सूचित किया जायेगा	
स्थान	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	

1. अनुबंध की शर्तें, मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फार्म, डिज़ाइन/ड्राईंग स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति अनुसूचि, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते है। साथ ही बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट **www.landrevenue.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते है एवं बोली दस्तावेज का मूल्य यूजर चार्जेज/प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, दस्तावेज जमा करने के साथ बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जायेगा।
2. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नही की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
3. बोलीयाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख दिनांक : 29/12/2023 को समय 04:00 PM पर खोली जाएगी।
4. उपापन संस्था सर्वाधिक कम राशि वाली बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है, एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
5. बोलीदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी 'पैन कार्ड की प्रति' जमा करनी होगी।
6. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एव संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। बोली एक वार्षिक दर संविदा हेतु आमंत्रित की जा रही है। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उपापन समिति द्वारा अनुबंध अधिकतम तीन माह और बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कीमत, निबंधन एवं शर्ते पूर्व में वर्णित ही होंगी।
7. **विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।**

2. BID - DATA -SHEET

Name of the subject matter	Photostat machine with service provider
Required no. of items Subject matter	Photostat machine with service provider
Nature of subject matter	Service
Method of procurement	Limited Bidding
BID Performance @ 5%	Rs. 9500/- (Rupees Nine Thousand Five Hundred Only)
Estimated Cost	Rs. 1,90,000/- (Rupees One Lac Ninty Thousand Only)
Date of Publishing BID DOCUMENT	22/12/2023
Last Date of Bid submission & Time	29 /12/2023 Time 12:30P.M.
Technical Bid Opening Date, Time & Place **Financial Bid Opening Date, Time & Place**	29 /12/2023 Time 04:00 P.M., Revenue Board, Ajmer Successfull Bidders will be informed accordingly
Website for downloading BID / BID Document etc.	http://landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/ http://www.sppp.gov.in
Proposal & BID Validity	90 days from the last date of bid submission

Scope of Work

Name of Subject Matter	:	Photostat Machine with Service provider
Specification of Subject Matter	:	Attached
No of Item	:	As per requirement
Work Period	:	Daily Basis
Delivery Location	:	Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

Checklist BID DATA SHEET

(Has to be filled by Bidder necessarily)

1. Pre-qualification Requirement (Technical Envelope)

S.No.	Name of Requirment	Response	Attached at page no.
1.	Self declaration regarding Blacklisting / Debarment	Yes / No	
2.	Signed Bid Document	Yes/No	
3.	PAN Card Copy	Yes/No	
4.	Affidavit on 100 Rs. Stamp Paper	Yes/No	

2. Financial Requirement (Financial Envelope)

S.No.	Requirement	Result
1.	Price Schedule in required format	Yes/No

Pre-Qualification Requirement

1. बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि " बोली प्रस्तुत करते समय वह किसी उपापन संस्था/राज्य सरकार द्वारा Blacklisted / Debarred नही हैं और उपापन प्रक्रिया के दौरान यदि कुछ ऐसा होता है तो वह मण्डल कार्यालय को शीघ्र सूचित कर देगा "। इस हेतु बोलीदाता को Undertaking (Self-Declaration) प्रस्तुत करनी होगी।

2. बोलीदाता को बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति के प्रतीक के रूप मे हस्ताक्षर करने होंगे और बोली के साथ हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज संलग्न करना होगा।

3. बोलीदाता को राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र (नोटेरी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

4. बोलीदाता को उक्त वांछित आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा और बोली के साथ वांछित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे अन्यथा स्थिति में बोली को Pre-qualify नही मानते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार नही किया जायेगा।

Financial Requirements

1. बोलीदाता द्वारा विषय–वस्तु की दरें निर्धारित प्रपत्र मे ही अंकित की जानी है अन्यथा बोली को अस्वीकृत माना जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली का प्रपत्र एक अलग लिफाफे में सीलबन्द रूप में प्रस्तुत करना होगा।
3. ध्यातव्य रहे कि निर्धारित Price-schedule मे एक Item की Rate **समस्त करों सहित** चाही गई है।

Technical Requirements

1. बोलीदाता को **PAN Card** की प्रति आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
2. **विषयवस्तु के सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बोली दस्तावेज के Specification of Subject Matter के प्रावधान के तहत आवश्यक रूप से अपने कोट किये गये मॉडल के Specification निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करने होगें।**
3. उक्त अंकित वांछित मापदण्डों को पूरा करते हुये आवश्यक दस्तावेज हस्ताक्षरयुक्त बोली दस्तावेज बोली के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा स्थिति में बोली पर विचार किया जाना संभव नही होगा।

3. बोली जमा सूची (Bid Submission Sheet)

दिनांक ....

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक..................

सेवामें,

निबंधक ,

राजस्व मण्डल राजस्थान,

अजमेर ।

दूरभाष : 91-145-2627620 **फैक्स** : 91-145-2427072, 2627001 **ई : मेल-**bor-rj@nic.in

हम, अद्योहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं कि:

(i) हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नही हैं।

(ii) हम बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशिन एवं अन्य निर्देशों सहित) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूचि में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित माल एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।

(क)..

(ख)..

(iii) बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालावधि तक वैद्य रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैद्यता अवधि से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।

(iv) यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो उस के सही संपादन हेतु हमारे द्वारा कुल प्रदाय राशि का 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा करवाया जायेगा या नियमानुसार इस हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति की घोषणा की जायेगी।

(v) हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।

(vi) हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्तें पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नही है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नही ले रहे है।

(vii) हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित ईकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उपबोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नही किया गया है।

(viii) जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नही हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र/स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।

(ix) आप न्यूनतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते है।

(x) उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनकी लेखा जॉच कर सकेगा।

(xi) अन्य यदि कोई हो :–..

हस्ताक्षरः–..

नामः–..

पदनामः–..

किसकी ओर से(बोलीदाता का नाम):–..

दिनांकः–..

टेलीफोन न0ः–......................फैक्स न0ः–.......................ईमेलः–..

स्थाई पता ....

....

....

मूल्य अनुसूची (Price Schedule)

बोलीदाता का नाम :- ....
बोली आमंत्रण की सूचना क्रमांक ....

-: फोटोस्टेट मशीन मय सेवा प्रदाता हेतु कार्य का विवरण :-

क्र.सं.	विवरण	संख्या	राशि रूपये			
			A4		FS	
			अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में
Photostat machine with man						
1.	आम जनता एवं अभिभाषकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली फोटो प्रति की दर	फोटोकॉपी की दर प्रति पृष्ठ (एक ओर)				
		पृष्ठ के दोनों ओर फोटोकॉपी की दर प्रति पेज				

-: मशीन का विवरण :-

S.No.	Machine Details		Paper Details	
	Brand Name with Model No	Date of Purchase	GSM	Paper Size
		not prior to year 2020	70GSM	A4 / FS

हस्ताक्षरः-..
नामः-..
पदनामः-..
किसकी ओर से अधिकृत(बोलीदाता का नाम):-..
दिनांकः-..
टेलीफोन न0:-.............................. फैक्स न0:-.............................. ईमेलः-..............................

4. INSTRUCTION TO BIDDERS

बोलीदाताओं हेतु निर्देश

1. उपापन की विषय वस्तु के लिए सीमित बोली पद्धति के द्वारा दर उपापन की जा रही है। जिसकी अवधि 31 जनवरी 2025 तक मान्य होगी ।

2. उपापन की विषय वस्तु के लिए सीमित बोली पद्धति के द्वारा मण्डल कार्यालय में **आमजन एवं अभिभाषकों को न्यायिक दस्तावेजों की फोटोप्रति** उपलब्ध करवाये जाने के प्रयोजनार्थ संवेदक के माध्यम से फोटोस्टेट मैन विद मशीन सेवा उपलब्ध करवाये जाने हेतु की जा रही है। उपापन हेतु एकल चरण दो लिफाफा पद्धति अपनाई जानी है, जिसमें तकनीकी दस्तावेज मूल्य का प्रमाण पत्र, बोली प्रतिभूति राशि, विषयवस्तु का स्पेशिफिकेशन, हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें एवं वित्तीय बोली (निर्धारित एवं संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत करनी होगी।

3. मशीन एवं फोटोकॉपी की गुणवत्ता का मण्डल द्वारा कभी भी परीक्षण किया जा सकता है, जिसके सही नही पाये जाने की स्थिति में बोलीदाता को प्रतिदिन राशि रू. 200 जुर्माना देय होगा।

4. फोटो स्टेट मशीन उच्च तकनीकी क्षमता मय जूम फेसेलिटी की आवेदनकर्ता द्वारा लगाई जावेगी। जिसके लिए एक अनुभवी व्यक्ति भी मशीन मशीन संचालन हेतु बोलीदाता द्वारा लगाया जायेगा।

5. दस्तावेज प्रपत्र मण्डल कार्यालय, www.sppp.in एवं मण्डल की वेबसाइट www.landrevenue. rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

6. **फोटो कॉपियर मशीन मण्डल कार्यालय मे बतलाये गये कक्ष व स्थान पर रखी जावेगी तथा फोटो कॉपी कराने का सामान्य समय प्रातः 9.30 बजें से सायः 6.00 बजे तक रहेगा। कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से निर्धारित समय पश्चात् व राजकीय अवकाशों के दौरान भी कार्य किया जायेगा।**

7. अनुबन्धकर्ता को कार्यालय के दस्तावेजो की गोपनीयता रखनी होगी तथा दस्तावेजों मे हेरफेर/कूट रचना, अवैधानिक कार्यवाही करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8. अनुबन्धकर्ता मण्डल कार्य के अतिरिक्त (प्राईवेट) कार्य उक्त मशीन पर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिए नही करेगा।

9. अनुबन्धकर्ता द्वारा स्थापित मशीन की मरम्मत आदि स्वयं के स्तर पर एवं खर्चे पर की जावेगी। टोनर/ड्रम/डवलपर/पेपर व अन्य आवश्यक सामग्री अनुबन्धकर्ता की होगी।

10. मशीन को सही हालत मे रखने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी, किन्ही कारणों से यदि मशीन खराब हो जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार को इस प्रकार करनी होगी कि राजकार्य में व्यवधान ना पड़े एवं सामान्य रूप से निर्धारित समय सीमा मे कार्य सम्पन्न हो। इसके असफल रहने पर मण्डल अन्य व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा, एवं जिस अवधि मे संविदाकार द्वारा फोटो स्टेट का कार्य नही कराया जाता है तो उस अवधी के लिए प्रति दिवस 500/– रूपये की दर से उससे प्रतिपूर्ति की जावेगी, यह कि पूर्ति अनुबन्ध समाप्त करने की स्थिति मे जब्त योग्य अमानत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी।

11. बोलीदाता अपनी मशीन की चोरी/नष्ट/नुकसान होने के दृष्टिगत चाहे तो अपनी मशीन का बीमा भी करवा सकता है। मशीन में किसी भी प्रकर के नुकसान/हानि की जिम्मेदारी राजस्व मण्डल की नही होगी।

12. अनुबन्धकर्ता/आवेदनकर्ता को मण्डल द्वारा उपलब्ध कक्ष, फर्नीचर व बिजली उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके एवज मे अनुबन्धकर्ता/संचालनकर्ता विभाग को 4000 फोटोप्रति प्रतिमाह निशुल्क उपलब्ध करवायेगा। विभाग द्वारा मण्डल कार्यालय एवं न्यायालय की नकल की फोटो स्टेट कार्य संपादित कराया जायेगा तो विभाग 50 पैसे प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान प्रति माह की दस तारीख तक किया जायेगा। संविदा अवधि समाप्त होने के उपरान्त बोलीदाता को आवंटित कक्ष तुरन्त मण्डल को सुपुर्द करना होगा।

13. अनुबन्धकर्ता/संचालनकर्ता को राशि रू. 9500/– (अक्षरे नौ हजार पांच सौ रूपये मात्र) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप मे विभाग मे जमा कराने होंगे जिन्हें कार्य संतोषजनक होने के दृष्टिगत अनुबंध अवधि समाप्ति पर लौटा दिये जायेगे।

14. अनुबन्धकर्ता को, आमजन से प्रति पृष्ठ फोटोस्टेट राशि वसूल की अनुमोदित दर, स्वयं के खर्चे पर कम से कम तीन स्थानो पर प्रदर्शित करनी होगी। संवेदक द्वारा उक्त दर से अधिकदर वसूल किये जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त कर दिया जावेगा।

15. राजस्व मण्डल द्वारा वांछित समस्त फोटो प्रतिया उसी दिन उपलब्ध करवानी होगी तथा कार्यालय उपयोग की प्रतिया दो घण्टे मे उपलब्ध करानी होगी। कार्यालय उपयोग की कुल प्रतियो मे से निशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्रतियो को घटाने के पश्चात शुद्व प्रतियो का भुगतान बोलीदाता को मण्डल द्वारा किया जायेगा।

16. अनुबन्धकर्ता/बोलीदाता को फोटोकॉपियर मशीन ऑपरेटर से संबंधित परिचय पत्र (फोटो आई.डी. युक्त) मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। यदि मशीन ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को सेवा प्रदाता बदलना चाहे तो इसकी अनुमति 'निबन्धक' राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त करनी होगी।

17. श्रम अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमें के लिए राजस्व मण्डल जिम्मेदार नही होगा।

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे अन्तिम निर्णय 'निबन्धक' राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का होगा तथा न्यायक्षेत्र अजमेर रहेगा।

19. पक्षकार/अभिभाषकगण को उपलब्ध कराई जाने वाली नकलो आदि के लिए आवश्यक कागज स्वंय अनुबन्धकर्ता लगायेगा।

20. सेवा उपापन की समस्त कार्यवाही RTPP Act, 2012 RTPP Ruls 2013 एवं GF&AR के प्रावधानो के तहत की जायेगी।

5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना मे बोलीदाता द्वारा घोषणा

(Declaration by Bidder in Compliance of section 7 of Act)

–: बोलीदाता द्वारा घोषणा :–

आपके द्वारा ....उपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना क्रमांक.................................. के परिप्रेक्ष्य मे हमारी जमा की गई बोली के क्रम मे, मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानो के अनुरूप घोषणा करते है, कि :–

(i) मै/हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजो के अनुसार आवश्यक वृतिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्त्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते है।

(ii) मै/हम, ऐसे करो को जो कि बोली दस्तावेजो के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूँ/करते है।

(iii) मै/हम, यह घोषणा करते है कि मै/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नही हूँ/है, या परिसमापन नही कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूगॉ/रखेगे, न अपने कारोबार के कियाकलाप निलबिंत रखूगॉ/रखेगे , ओर न पूर्वगामी कारणो मे से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियो के अध्यधीन होऊँगा/होगे।

(iv) मैं/हम, घोषणा करते है, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं *और न उनके निदेशक* और अधिकारी दोष सिद्व हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है,

(v) मैं/हम, घोषणा करते है, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नही है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें,

(vi) मैं/हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म को राजस्थान में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड/डिबार नही किया गया है।

(vii) मैं/हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म विगत...................वर्षों से पूर्वकथित **फोटोस्टेट मशीन मय सेवा प्रदाता** का कार्य कर रही है।

(viii) मैं/हम, घोषणा करते है, कि हमने निविदा दस्तावेज के नियमें अथवा शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्ये पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

दनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षरः–..
नामः–..
पदनामः–..
पता मय दूरभाषः–..
....
....

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

6. उपापन/अनुबंध/करार की सामान्य शर्तें
(General Conditions of Contract)

1. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों मे उल्लिखित **"सत्यनिष्ठा संहिता"** की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
2. उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार "हित विरोध" की स्थिति उत्पन्न नही होनी चाहिए।
3. कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहाँ बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में बोली लगाने वाले के रूप मे पात्र हो सकते है। माल के उपापन की दशा में बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विर्निदिष्ट रूप विधान में उसके आवश्यक सबूत देगा। साथ ही किसी बोली लगाने वाले की पात्रता नियमों में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगी।
4. लघु उद्योगों, रूग्ण उद्योगों या अन्य प्रकार के उपक्रमों के मामलों में बोली प्रतिभूति का संपादन नियमानुसार किया जायेगा। नियमों में उल्लेखित मामलों में बोली प्रतिभूति समपृहत की जा सकेगी। असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का नियमानुसार प्रतिदाय कर दिया जायेगा।
5. उपापन संस्था द्वारा, बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात् यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।
6. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात् जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो, उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
7. बोली दस्तावेजों में विर्निदिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।
8. बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध मे स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रृटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार मे कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नही किया जायेगा।
9. बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा संपरीक्षित लेखा विवरण, जीएसटी प्रमाण–पत्र, PAN इत्यादि भी सम्मिलित किये जायेंगे।
10. एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धतियों के सिवाय, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात कोई बातचीत नही की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था मे ही माँगे जायेंगे। अन्यथा बातचीत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार की जा सकेगी। तत्पश्चात कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
11. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।
12. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और उपापन के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
13. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
14. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों मे उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।
15. बोलियों के मूल्यांकन और उपापन के अधिनिर्णय में नियमानुसार कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

16. मूल्यांकन कसौटी के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोली को सफल घोषित किया जायेगा। सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के सुसंगत होने के बाद ही उपापन संस्था द्वारा उपापन का अधिनिर्णय किया जा सकेगा।
17. उपापन के अधिनिर्णय के समय पर नियमानुसार सर्वाधिक लाभप्रद बोली कीमत पर उपापन की विषय वस्तु का परिणाम एक से अधिक बोली दाताओं के मध्य विभाजित किया जा सकेगा, यदि नियमानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो।
18. बोली के मूल्यांकन के समय सर्वप्रथम Pre-Qualification Requirement का मूल्यांकन किया जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी। तकनीकी मूल्यांकन में जो बोली तकनीकी रूप से स्वीकृत होगी, उन्ही की वित्तीय बोलियॉ खोली जायेगी और इस संबंध में संबंधितों को सूचित कर दिया जायेगा।
19. आवश्यक PQ एवं तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई न्यूनतम दर वाली बोली को सफल बोली माना जाने हेतु विभाग बाध्य नही होगा।
20. बोलियों का मूल्यांकन अंकित तकनीकि मापदण्डों, गुणवत्ता एवं अंकित की गई राशि को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा ।
21. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नही जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
22. कार्य संपादन प्रतिभूति आवश्यक होगी तथा साथ ही नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा ली जायेगी, जहाँ इसके लिए नियमों में प्रावधान किया गया हो। कार्य संपादन प्रतिभूति नियमों के विहित प्रारूपों में दी जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम सामान्यतया माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 5% होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार किया जा सकेगा।
23. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार गैर न्यायिक शपथ–पत्र पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर उपापन उपापन/करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने मे विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।
24. उपापन संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में, बोलीदाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख रखाव (maintenance) एवं मरम्मत करने के लिये आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
25. परीक्षण प्रभार उपापन संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नही हैं, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जाऐंगे।
26. उपापन की विषय वस्तुएं कार्यालय परिसर पर सही दशा में सुपुर्द की जायेगी। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसेः युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा ऐसे व्यय किये जाते है तो उपापन संस्था से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नही करेगा। यदि उपापन संस्था द्वारा चाहा गया हो तो उपापन संस्था की लागत पर यह बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जा सकेगा।
27. बोली प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप मे समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता उपापन संस्था से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
28. उपापन संस्था परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार उपापन की किसी विषयवस्तु के उपापन के लिये मना कर सकती है या विर्निदिष्ट परिमाण से कम उपाप्त कर सकती है या अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिये पुनरादेश नियमानुसार दिया जा सकेगा।
29. बोलीदाता अपनी उपापन को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सोपेगा या उप–भाड़े (Sub Let) पर नही देगा।
30. विवादास्पद मदों के संबंध में, भुगतान योग्य राशि का 20 प्रतिशत तक राशि रोकी जायेगी। तथा उक्त विवाद का निस्तारण होने पर ही रोकी गई राशि का भुगतान किया जायेगा। उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम, विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।
31. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उस वस्तु के मूल्य के लिए की जायेगी, जिनका बोलीदाता प्रदाय करने मे असफल रहा है।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
बोली दस्तावेज – सेवा/Service
बोली दस्तावेज

(क) विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत।
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए – 5 प्रतिशत।
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए – 7.5 प्रतिशत।
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत।

प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण उपापन अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उपापन संस्था को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल प्रदाय करने में उत्पन हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुदर्गी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी। परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किये गये माल की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढ़ंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं उपापन संस्था के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से रोकी जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

32 दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलो के सिवाय अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा।
सामान्यतया उपापन की विषय वस्तु का भुगतान बोलीदाता द्वारा नियमानुसार उचित प्रारूप मे उपापन संस्था के कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकेगा।

33. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।

34. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।

35. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप की जायेगी, तथा साथ ही जहाँ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें ।

36. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

हस्ताक्षर (बोलीदाता)

नामः–..

पदनामः–..

पताः–..

टेलीफोन न0ः–...

फैक्स न0...

ईमेल...

5. माल की सपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगीः–

क्रम संख्या	मदों की संख्या	सुपुर्दगी अवधि

6. (1) यदि परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(i) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए– 2.5 %
(ii) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए– 5 %
(iii) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए– 7.5 %
(iv) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए– 10 %

टिप्पणी–

(i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड दिया जायेगा।
(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 होगी।
(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित की होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न की प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो, जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

इससे साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक..............माह..............सन 20.........को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

Annexure A : Complaince with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

A. Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

B. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

C. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

D. Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

F. Obstruct any investigation or audit of a procurement process;

G. Disclose conflict of interest, if any; and

H. Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country baring the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a siltation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

A. Have controlling partners/shareholders in common; or

B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

C. Have the same legal representative for purposes of the bid; or

D. Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's

E. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more then one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

F. The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or

G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to............................for procurement of...................in response to their Notice Inviting Bids No......................Dated...................I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct ro the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

6. Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.

7. Our firm is dealing in the aforesaid procured good i.e. **Photostat Machine with service provider** for the last................ years (please mention the number of years. minimum one year experience isrequired as per tender document.

8. I/we have put mu/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is...Chairman BoR...

The designation and address of the Second Appellate Authority..Secretary Revenue Department

1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose off the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

4) **Appeal not to lie in certain case**

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- **a)** Determination of need of procurement;
- **b)** Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- **c)** The decision of whether or not to enter into negotiations;
- **d)** Cancellation of a procurement process;
- **e)** Applicability of the provisions of confidentiality;

5) **Form of Appeal**

- **a)** An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- **b)** Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate , as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) Fee for filing appeal

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the from bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed or hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall-

i. Hear all the parties to appeal present before him; and

ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

FORM No. 1
See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012

Appeal No.........................of...............................

Before the.............................. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(1) Name of the appellant:

(2) Official address, if any:

(3) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)

(i)...

(ii)..

(iii)...

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal :

....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer :

....

....

....

....

Place...

Date.......................................

Appellant's signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **PHOTOSTAT MACHINE WITH SERVICE PROVIDER** in response to their **NIB NO. : BOR/Photostat Service/Limited BID/Rs. 1.90 Lakh/2023/16 Dt. : 22/12/2023.**

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :

Annexure F: Declaration by the Bidder regarding Blacklisting / Debarred

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **PHOTOSTAT MACHINE WITH SERVICE PROVIDER** in response to their **NIB NO. : BOR/Photostat Service/Limited BID/Rs. 1.90 Lakh/2023/16 Dt. : 22/12/2023.**

I/We hereby declare that my/our firm has not been **BLACKLISTED / DEBARRED** by any Government / Private / Public Department in any way in preceding three years.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :

शपथ–पत्र

(राशि रूपये 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित)

Nib No. BOR/Photostat Service/Limited BID/Rs. 1.90 Lakh/2023/16 Dt. : 22/12/2023

मैसर्स (कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता) ....

....शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती

हूं कि :–

1. बिड क्रमांक मय दिनांक .... में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियां/दस्तावेज पूर्णतया सही हैं।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी, केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा विगत 03 वर्षों में Black Listed/Debar/ नहीं की गयी हैं।
3. बोली प्रपत्र में मांगी गई विभिन्न प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न कर दी गई हैं एवं समस्त दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
4. उपरोक्त बिड संख्या ....में चाही गई/संलग्न की गई सूचनाऍ प्रमाण पत्र गलत/कूटरचित पाया जाता हैं तो विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :